न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई0ए0एस0

अपील संख्या– 16/2025

बउनवान

श्री साबिर पुत्र रमजान जाति मुसलमान निवासी रायपुरा तहसील अन्ता, जिला बारां, राज0 (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अन्ता जिला बारां (राज0) (रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :– 1. श्री ओम भारद्वाज, अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 28.07.2025

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता के आदेश दिनांक 24.10.2024 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम रायपुरा तहसील अन्ता की आराजी खसरा नम्बर 138 रकबा 0.20 है., किस्म–चारागाह पर अतिक्रमी मानकर दिनांक 24.10.2024 को निर्णय पारित कर 100/–रूपये शास्ति आरोपित कर तीस दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की अनुपस्थिति में 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि बिना अपीलांट की उपस्थिति के उसके विरूद्ध सिविल कारावास का आदेश पारित नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने भौतिक तथ्यों से परे जाकर उक्त आदेश पारित किया है जबकि प्रकरण के संबंध में भू अभिलेख निरीक्षक पलायथा की रिपोर्ट में यह स्पष्ट अंकित है कि अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस की पालना में अतिक्रमी द्वारा स्वतः ही अतिक्रमण शुदा फसल सरसों को हांककर समाप्त कर खाली कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट को नजरअंदाज कर उक्त निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने में गंभीर कानूनी एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि की है इस कारण उक्त निर्णय विधि के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 02/2024 में पारित निर्णय दिनांक 24.10.2024 निरस्त फरमावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.08.27 11:15:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस हेतु प्रकरण नियत किया गया।

दौराने बहस पेरोकार सरकार अनुपस्थित रहने पर हमने एकपक्षीय बहस अभिभाषक अपीलांट की सुनकर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने का विनिश्चय किया। दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर नही दिया गया है। अपीलांट का उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा नही रहा है, और ना ही ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौके पर अतिक्रमण/कब्जे की जांच किये अपीलांट को सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.10.2024 निरस्त फरमावें।

हमने एकपक्षीय बहस अभिभाषक अपीलांट की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 138 रकबा 0.20 है0 किस्म चारागाह ग्राम रायपुरा पर सम्वत् 2078 फसल रबी में भी अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 11/2023 में पारित निर्णय दिनांक 13.12.2022 से बेदखल किया जाना पत्रावली में संलग्न बयान पटवारी हल्का से प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रकरण संख्या 2/2024 में पारित आदेश दिनांक 24.10.2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.07.2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.08.27 11:15:16 IST
Reason: SelfAttested

को उपस्थित होकर